

न्यायालय:-आनंद बोरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द,
जिला महासमुन्द (छ०ग०)
//विविध आदेश//

क्रमांक/01/एक-11-1/2006

महासमुन्द, दिनांक: 12/08/2025

मैं आनंद बोरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ०ग०, दण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में जारी किये गये आदेश दिनांक 25.03.2025 एवं 24.04.2025 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, जिला महासमुन्द (छ०ग०) में सुचारु रूप से कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत अनुमोदन दिनांक से तत्काल प्रभाव से लागू होगा:-

01. आदेश की तालिका के सरल क्रमांक 01, 02, 03 एवं 09 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आबंटित थाना	आबंटित कार्य
01	02	03	04
01	आनंद बोरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ०ग०	आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र-तुमगांव एवं संपूर्ण जिला महासमुन्द का यातायात थाना महासमुन्द (छ०ग०)	1. आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगांव से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं, जिला क्राइम ब्रांच एवं यातायात थाना महासमुन्द से उत्पन्न समस्त आपराधिक, एवं परिवाद प्रकरणों, जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रकरण तथा विशेष अधिनियम से संबंधित आपराधिक मामले भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा निराकरण करना। 2. आबकारी वृत्त महासमुन्द शहर एवं आबकारी वृत्त महासमुन्द आंतरिक, ग्रामीण से उत्पन्न छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणों का निराकरण करना। 3. आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगांव क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त घरेलू

			हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना। 4. नगर पालिका परिषद महासमुन्द, नगर पंचायत तुमगांव से उत्पन्न होने वाले छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र तुमगांव (चौकी सिरपुर को छोड़कर) से संबंधित भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ०ग० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. जिला महासमुन्द के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 169 एवं 173 दं०प्र०सं० के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण संपूर्ण कार्यवाही करते हुए खारिजी की कार्यवाही करना तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौंपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
02	श्री अरूण नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ०ग०	आरक्षी केन्द्र पटेवा, जिला महासमुन्द छ०ग०	1. आरक्षी केन्द्र-पटेवा से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, (चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ०ग० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर) जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं

			खात्मा करना। 2. आरक्षी केन्द्र पटेवा क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 3. आरक्षी केन्द्र पटेवा से संबंधित भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ०ग० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 4. धारा 169 एवं 173 दं०प्र०सं० के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द के न्यायालय के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न आवेदनों का निराकरण किया जाना । 6. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौंपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
03	सुश्री तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द,	आरक्षी केन्द्र खल्लारी, जिला महासमुन्द छ०ग०	1. आरक्षी केन्द्र-खल्लारी से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, (चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन

	जिला महासमुन्द छ०ग०	परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ०ग० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर) जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. आरक्षी केन्द्र खल्लारी क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 3. आरक्षी केन्द्र खल्लारी से संबंधित भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ०ग० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 4. धारा 169 एवं 173 दं०प्र०सं० के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 5. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द के न्यायालय के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न आवेदनों का निराकरण किया जाना । 6. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौंपे गये समस्त प्रकरणों का
--	--------------------------------	---

			निराकरण करना।
09	सुश्री खुशबू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ०ग०	चौकी सिरपुर, जिला महासमुन्द छ०ग०	1. चौकी सिरपुर से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक, एवं परिवाद प्रकरणों, जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रकरण तथा विशेष अधिनियम से संबंधित आपराधिक मामले भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा निराकरण करना। 3. चौकी सिरपुर क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना। 5. चौकी सिरपुर से संबंधित भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ०ग० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 7. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौंपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।

02. आदेश की कंडिका 12 के सरल क्रमांक 01 एवं 02 को निम्नानुसार संशोधन किया जाकर सरल क्रमांक सरल क्रमांक 07 के पश्चात् 08 एवं 09 निम्नानुसार जोड़ी जाती है:-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र क्षेत्र
01	श्री अरुण नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला महासमुन्द छ०ग०	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना खल्लारी, थाना तुमगाँव एवं चौकी सिरपुर के पॉक्सों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अपराधों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 183 बी०एन०एस०एस० के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।

02	सुश्री तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला महासमुन्द छ०ग०	आरक्षी केन्द्र पटेवा से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 183 बी०एन०एस०एस० के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
08	सुश्री खुशबू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ०ग०	आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगाँव, चौकी सिरपुर के पॉक्सों एवं महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 183 बी०एन०एस०एस० के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
09	सुश्री गीतांजली कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ०ग०	आरक्षी केन्द्र बागबाहरा से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों एवं बाल न्यायालय से संबंधित महासमुन्द जिला के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 183 बी०एन०एस०एस० के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।

सही/-
(आनंद बोरकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला महासमुन्द छ०ग०

पृष्ठांकन क्रमांक...../कार्य/2025

महासमुन्द, दिनांक 12/08/2025

प्रतिलिपि:-

- 01/ प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द छ०ग० की ओर
सूचनार्थ प्रेषित।
- 02/ माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द छ०ग० की ओर सादर
सूचनार्थ संप्रेषित।
- 03/ माननीय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट महासमुन्द छ०ग० की
ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 04/ माननीय न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायपाली छ०ग० की ओर सादर
सूचनार्थ संप्रेषित।
- 05/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली

- जिला महासमुन्द छ०ग० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 06/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, महासमुन्द छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 07/ पुलिस अधीक्षक महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थानो को संसूचित करने हेतु प्रेषित।
- 08/ अधिवक्ता संघ महासमुन्द छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 09/ जिला आबकारी अधिकारी वृत्त महासमुन्द जिला छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10/ कार्यालय जिला वन मण्डलाधिकारी, महासमुन्द, जिला-महासमुन्द, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



12/08/2025
(आनंद बोरकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला महासमुन्द छ०ग०